



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2012-वैशाख 21, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

मस्जिद व मजार अरजानीशाह दुल्हा सब्जी मण्डी, नजमी मार्ग, उज्जैन गजट दिनांक 13 सितम्बर, 1985 भाग 3 (1) के अनुक्रमांक 789 पर खसरा नम्बर 1252, रकबा 3825, 3280 कुल 7105 वर्गफुट दर्ज है। उक्त खसरे में वक्फ के 05 मकानात के कदीमी नंबरत व उनका क्षेत्रफल निम्नानुसार है:—

<u>नम्बरात</u>	<u>क्षेत्रफल</u>
2704-05)	
2706-9)	3280 वर्गफिट
2783)	

एस. यू. सैयद,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(24-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम कु. बसंती चौहान था एवं भविष्य में मुझे रिया चौहान पत्नि श्री संतोष चौहान के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(बसंती चौहान)
(Basanti Chouhan)

नया नाम :
(रिया चौहान)
(Riya Chouhan)
पत्नि श्री संतोष चौहान,
पता:—115, भोलेनाथ कॉलोनी,
दुर्गा मंदिर के सामने, टीलाजमालपुरा,
भोपाल, पिनकोड 462001.

(25-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल की अंकसूची वर्ष 1991 में मेरा नाम हिटलर धर अंकित है. आगे के सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम हिटलर शर्मा पुत्र श्री ओंकर चन्द शर्मा (ओ. सी. शर्मा) अंकित है जबकि उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर आकाश शर्मा रख लिया है. अतः अब मुझे भविष्य में मेरे नये नाम आकाश शर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हिटलर धर उर्फ हिटलर शर्मा)

(26-बी.)

नया नाम :

(आकाश शर्मा)

वर्तमान पता—जयप्पा हाउस,
सिधिया स्कूल किला, ग्वालियर
पिन-474008.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हेमचन्द्र गेहलोत पिता श्री गोविंद गेहलोत, निवासी बी-30, सेल टैक्स कॉलोनी, गुमाशता नगर, इन्दौर, स्थाई निवासी-ग्राम लोहारा, पोस्ट तलवाडा, तहसील कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश में पूर्व अपना नाम हेमचन्द्र गेहलोत को परिवर्तित कर नया नाम हेमन्त गेहलोत करना चाहता हूँ. जिसे मेरे सर्विस रिकार्ड में भी परिवर्तित किया जाये. कोई भी व्यक्ति, कार्यालय, मुझसे मय प्रमाण के इस सूचना प्रकाशन से सात दिन की अवधि में लिखित में सूचित करें, बाद म्याद नाम परिवर्तन करवा लिया जावेगा व किसी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी.

पुराना नाम :

(हेमचन्द्र गेहलोत)

(Hemchandra Gehlot)

(27-बी.)

नया नाम :

(हेमन्त गेहलोत)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित रमेश चन्द्र हनपड़े (RAMESH CHANDRA HANPADE) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित रमेश चन्द्र सतपुड़ा (RAMESH CHANDRA SATPUDA) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम रमेश चन्द्र सतपुड़ा (RAMESH CHANDRA SATPUDA) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(रमेश चन्द्र हनपड़े)

(RAMESH CHANDRA HANPADE)

(28-बी.)

नया नाम :

(रमेश चन्द्र सतपुड़ा)

(RAMESH CHANDRA SATPUDA)

पता-43, त्रिमुर्ती नगर, पुलिस चौकी के पीछे,
राजगढ़, तहसील सरदारपुर,
जिला धार-454116 (मध्यप्रदेश).

CHANGE IN NAME

I AVIRAL R/o. 28-29, Gulmohar Ext., Indore (M.P.) I have changed my name now known and called as AVIRAL SHAH in all records.

Old Name :

(AVIRAL)

(29-B.)

New Name :

(AVIRAL SHAH)

28-29, Gulmohar Extn., Indore (M.P.).

CHANGE IN NAME

I Sandeep Asthana here by declare that my minor son's name was PUPUL ASTHANA. Now its changed as SHRANGI ASTHANA. So, from now and in future, he will be known by his new name.

SANDEEP ASTHANA,
SHRADDHA ASTHANA,
H-49, MIG Colony,
R.S.S. Nagar, Indore.

(30-B.)

विविध**निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 4 मई, 2012

क्र.जी.बी. 5/(वि-1)/2012-2013/1616.—शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में वर्ष 2009-10 से दिनांक 30 जून, 2012 तक एकत्रित समस्त सफेद कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत (पृथक्-पृथक् लिफाफे में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा अंकित कर) मुहरबन्द निविदा दिनांक 26 मई, 2012 को अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं. निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अनुबन्ध को वेबसाइट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर रखा गया है.

2. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 25 मई, 2012 सायं 5.00 बजे तक राशि रुपये 500/- नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है. वेबसाइट से डाऊनलोड की गई निविदा के साथ रुपये 500/- की डी. डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा. डाक से निविदा प्रपत्र मंगाने हेतु रुपये 600/- (रुपये छः सौ) का राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से भेजे जो दिनांक 18 मई, 2012 तक प्राप्त हो जाना चाहिए. डाक से निविदा प्रपत्र प्राप्त होने में विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 26 मई, 2012 अपरान्ह 1.00 बजे निर्धारित है. तकनीकी निविदाएं उसी दिनांक 26 मई, 2012 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेंगी.

हीरालाल त्रिवेदी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(230)

दिनांक 24 अप्रैल, 2012

क्र. भण्डार-दो/1645.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के उपयोग हेतु प्रिंटिंग एवं बाईण्डिंग सामग्रियों के लिये मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:—

1. मुहरबन्द निविदा के लिफाफे पर "वर्ष 2012-13 के लिये प्रिंटिंग एवं बाईण्डिंग सामग्री की निविदा" लिखा जावे.
2. कोरे निविदा पत्र कार्यालय शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर से कार्यालयीन समय में दिनांक 16 मई, 2012 को 1.30 तक प्राप्त किये जा सकते हैं.
3. भरा हुआ निविदा फॉर्म दिनांक 17 मई, 2012 को अपरान्ह 5 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं. किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी निविदा प्राप्तकर्ता/निविदाकार की होगी.

4. निविदा के साथ निविदा राशि F.D.R. संयुक्त नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के नाम से तैयार कर संलग्न करना अतिआवश्यक है. किन्हीं 20 आयटमों के लिये निविदा भरने के लिये निक्षेप राशि रुपये 5,000/- एवं 20 आयटम से अधिक आयटम के लिये निविदाकार को रुपये 10,000/- की निक्षेप राशि संलग्न करना अनिवार्य है. बिना निक्षेप राशि के निविदा प्राप्त होने पर उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.
5. निविदा दिनांक 18 मई, 2012 को समिति के समक्ष अपराह्न 4.00 बजे खोला जायेगा. निविदाकार उस तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें समक्ष में बैठने की अनुमति होगी.
6. समस्त या किसी एक निविदा/निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा.
7. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :—
 - (क) आयकर रिटर्न की फोटोप्रति.
 - (ख) वाणिज्यकर अधिनियम की कण्डिका 36 के अनुसार पंजीयन एवं VAT चुकता प्रमाण-पत्र.
 - (ग) टिन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है.
 - (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक का निविदा निक्षेप राशि का नम्बर, दिनांक, राशि संख्या 5,000/- अथवा 10,000/- एवं बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है.
 - (ङ) फर्म के अपने लैटर हैड में कव्हरिंग पत्र में किन-किन आयटमों के लिये निविदा भरा जा रहा है लिखकर एवं हस्ताक्षर कर उसमें निविदा फॉर्म संलग्न करना आवश्यक है.
8. प्रिंटिंग और बाईण्डिंग सामग्रियों की संख्या में आवश्यकतानुसार 25% कमी और बढ़ोत्तरी की जा सकती है.
9. सामग्री के दर F. O. R. GWALIOR मान्य किया जावेगा.
10. नियमानुसार 1% Entry Tax निविदाकार को देना होगा.

वर्ष 2012-13 के लिये प्रिंटिंग एवं बाईण्डिंग सामग्रियों का विवरण

आयटम क्रमांक	आयटम का नाम एवं विवरण	वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित खपत
1	2	3
1.	Lith Film,	
	(A) 18" x 100' (Roll)	12 Nos
2.	Film Developer (for processing lith film)	180 Ltrs
3.	Cello Tape 1/2" (Transparent)	110 Nos
4.	Cotton Wool (Long Fibres)	35 Nos
5.	Glass Marbles 30 mm	03 Bags
6.	Sand Abrasive Graining Powder	300 Kg/ 50 Kg Bag
7.	Plate Cleaner G.P. (Scum Remover)	40 Ltrs
8.	Plate Developer (Black Diamond)	40 Ltrs
9.	Plate Finisher	40 Ltrs
10.	Damping Roller Hoses 210 mm	8 Meters
11.	Damping Roller Hoses 150 mm	10 Meters

1	2	3
12.	Damping Roller Hoses 160 mm	12 Meters
13.	Damping Roller Hoses 170 mm	13 Meters
14.	Damping Roller Hoses 180 mm	14 Meters
15.	Damping Roller Hoses 140 mm	10 Meters
16.	Micro Graind Alluminium Plate (RO-62) (620 x 467 x 0.28 mm).	100 Nos
17.	Micro Graind Alluminium Plate (PO-25) (641 x 527 x 0.28 mm).	100 Nos
18.	Micro Graind Alluminium Plate (Dominant) (650 x 530 x 0.28 mm).	100 Nos
19.	Micro Graind Alluminium Plate (PO-36) (930 x 715 x 0.28 mm).	50 Nos
20.	Rubber Blanket Compressible 26 x 750 mm. width- 4 ply/1.65 mm. (for RO-62 Machine).	10 Nos
21.	Rubber Blanket Compressible 629 x 641 x 1.9 mm. (4 ply) (PO-25).	08 Nos
22.	Rubber Blanket Compressible (PO-36) 790 x 935 x (1.65 + 1.65) mm.	05 Nos
23.	Rubber Blanket Compressible 666 x 560 x 1.9 mm. (4 ply) (Dominant).	08 Nos
24.	Gestetner Digital Copier-1230 (D) Toner	10 Nos
25.	HP Laser Jet No. 29X (For HP Laser Jet 5100 Printer) Toner.	04 Nos
26.	Gestetner Copy Printer Ink CPI-11.	56 Nos
27.	Hessian Cloth (44" Width Approx weight 230 gms for 1 yard lenth, tolerance will be \pm 5 gms).	5000 yards
28.	Sutli 3 ply Loose	1150 Kg
29.	Binding Cloth (Ordinary) Assorted colours Roll of 20 mtr. x 90 cm. width.	56 Rolls
30.	Stitching Wire Galvanised No. 20 (App. wt. 1.5/1.6 Kg)	50 Nos
31.	Stitching Wire Galvanised No. 24 (App. wt. 1.5/1.6 Kg)	140 Coils
32.	G.I. Wire No. 16 (App. wt. 25 Kg)	14 Coils
33.	Ball Bearing No. 6000 ZZ	10 Nos
34.	Ball Bearing No. 6001 ZZ	24 Nos

1	2	3
35.	Ball Bearing No. 6200 ZZ	125 Nos
36.	Ball Bearing No. 6201 ZZ	20 Nos
37.	Ball Bearing No. 6202 ZZ	30 Nos
38.	Ball Bearing No. 30207	10 Nos
39.	Ball Bearing No. 30209	10 Nos
40.	Tube Rod-40 watts	120 Nos
41.	Submersible Pump 250 Volt/350 Msp	12 Nos
42.	C. F. L. 55 Watt	20 Nos
43.	M. M. Wire (1mm/1.5mm/2.5 mm)	4 Coils
44.	Ivery Card Size 5 1/2" x 8" 300 GSM	4100 Nos
45.	Envelope Maplitho 70/80 GSM (5 1/2" x 8")	5500 Nos
46.	Lifebouy Soap	2600 Nos.
47.	Cotton Waste	450 to 500 Kg

2-2
(220)

यू. एन. सिन्हा,
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
ग्वालियर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 11 अप्रैल, 2012

प्र. क्र. क्यू/बी-113 (4)/2011-2012.

प्रारूप-4

[नियम-5 देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा 2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, नीमच के समक्ष,

क्र. 900/रीडर-1/2012. — चूंकि आवेदक सुनीलकुमार पिता विरेन्द्रकुमार पाटीदार, अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी, नीमच की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11 मई, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, अनिल पटवा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच अपने न्यायालय में दिनांक 11 मई, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यास का नाम	..	सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी.
अचल सम्पत्ति का विवरण	..	निरंक.
चल सम्पत्ति का विवरण	..	रुपये 9,500/- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जावी में न्यास के बाबत खाता क्रमांक 32124757779 में जमा है.

अनिल पटवा,
पंजीयक.

(222)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर

प्र. क्र. 02/बी-113/2011-12.

छतरपुर, दिनांक 14 मार्च, 2012

प्रारूप क्रमांक-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि—

- | | | |
|----------------------|----|---|
| 1. अध्यक्ष | .. | राजेन्द्र कुमार जैन, सेठ दयाचन्द्र शाँपिंग कॉम्पलेक्स, महल मार्ग, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 2. कार्याध्यक्ष | .. | इं. सुनील जैन, महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 3. महामंत्री | .. | अरविन्द बढकुल, न्यू बढकुल इलैक्ट्रीकल, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 4. मंत्री | .. | जीतेन्द्र जैन, सबनीगर मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 5. उपाध्यक्ष | .. | रवी जैन, चित्रा वीडियो के पास, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 6. उपाध्यक्ष | .. | कमल जैन, डेरापहाड़ी के पास, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 7. कोषाध्यक्ष | .. | मुकेश जैन, जैन ग्रेनाईट इंडिया, परवारी मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 8. प्रचार मंत्री | .. | चौधरी मोहित जैन, महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 9. संयुक्त मंत्री | .. | निखिल जैन, महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश. |
| 10. विधि कार्यमंत्री | .. | संतोष जैन (एडवोकेट) छतरपुर, मध्यप्रदेश. |

सदस्यगण :

11. इंजीनियर, विनोद जैन, परवारी मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
12. सुमत कुमार जैन (बोट्टू) महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
13. चौधरी प्रदीप जैन, चौक बाजार, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
14. लकी बढकुल, महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
15. देवेन्द्र जैन, (बस ऑनर) परवारी मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
16. राजेश बढकुल, महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
17. मुकेश डेवडिया, हटवारा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
18. अनुज बढकुल, परवारी मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
19. अनिल जैन, मैन रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
20. बंटी बजाज, महल रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
21. विमल जैन, कुपी वाले, चौक बाजार, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
22. जय कुमार जैन, मऊदरवाजा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
23. देवेन्द्र जैन, (पहाड़गांव) मऊदरवाजा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
24. सुदेश जैन, परवारी मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
25. अशोक जैन, परवारी मुहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
26. अमित जैन, महोबा नाका, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
27. बी. पी. सौनकिया, तहसील प्रांगण, छतरपुर, मध्यप्रदेश.

समस्त निवासीगण छतरपुर, तहसील छतरपुर, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 मई, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एकमाह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्ति को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	दयोदय पशुसंवर्धन एवं पर्यावरण लोक न्यास श्री अतिशय क्षेत्र डेरापहाड़ी, पुराना पन्ना नाका कलेक्टर बंगला के सामने, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	कृषि भूमि खसरा नं. 54/2 रकबा 0.243 है. ग्राम सरानी प.ह.नं. 65, तहसील छतरपुर, मध्यप्रदेश.

सुसंभितिवारी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, रतलाम

प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2011-12.

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक श्री चेतन्य काश्यप, निवासी विसाजी मेंशन, महात्मा गांधी मार्ग, रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर गुरु राजेन्द्र जयन्तसेन सूरी संस्थान, रतलाम के नाम से न्यास पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 14 मई, 2012 को की जावेगी।

अतएव जिस किसी व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट को इस संबंध में रुचि/आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 14 मई, 2012 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

लोक न्यास का नाम, पता, सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	--	गुरु राजेन्द्र जयन्तसेन सूरी संस्थान न्यास, विसाजी मेंशन, महात्मा गांधी मार्ग, रतलाम
अचल सम्पत्ति	--	ग्राम खेतलपुर में कृषि भूमि खसरा नं. 34/18 रकबा 0.600 हे. लगान रु. 2.70 पैसे तथा खसरा नं. 34/17 रकबा 0.200 हे. लगान रु. 0.90 पैसे इस प्रकार कुल किता-2 रकबा 0.800 हे. लगान रु. 3.60 पैसे.
चल सम्पत्ति	--	नगद राशि रुपये 15,300/- (रुपये पन्द्रह हजार तीन सौ मात्र).

दिनेशचन्द्र सिंघी,
रजिस्ट्रार.

(224)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, शहडोल

शहडोल, दिनांक 26 अप्रैल, 2012

क्र. 264/नग्रानि/शहडोल/2012.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा-15 (3) के अधीन अंगीकृत किया जाता है। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-3-35-2011 बत्तिस दिनांक 22 जुलाई, 2011 बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार हैं:—

- उत्तर में : ग्राम बरदौहा, पलझा, चंदवार, बटुराबाह, झाल, चितरांव, मझटोला तथा हरदी तक.
- पूर्व में : ग्राम सेहरा, धखोधर, मोहबला, टिकुरीटोला, सिगुड़ी, बरबसपुर, दुलहरा, बांसा, कछौहा तक.
- दक्षिण में : ग्राम मुड़गुड़ी, बरबसपुर, सरसवाही, खेरवाखुर्द, अचला तक.
- पश्चिम में : ग्राम मझौली तक.

नोट:—निवेश क्षेत्र मानचित्र में दर्शित पनपथा अभ्यारण्य क्षेत्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मचमचा रक्षित वन क्षेत्र एवं खतोली रक्षित वनक्षेत्र निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एक सप्ताह तक निरीक्षण के लिए निम्न स्थानों पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल:—

1. कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, शहडोल, मध्यप्रदेश.
2. तहसील कार्यालय मानपुर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश.

(229)

एस. वि. कोहद,
उप-संचालक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र.2439, दिनांक 24 जून, 2011 के द्वारा जे. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 25 मई, 1979 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(225)

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था जटाशंकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव जिसका पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था जटाशंकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वाकी जुनवानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 18 जनवरी, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नैगुवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1196, दिनांक 9 सितम्बर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-W)

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ पंजीयन क्रमांक 02, राजगढ़, दिनांक 27 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1514, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री सुनील सक्सेना, उप-अंकेक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

निकिता स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 03, राजगढ़, दिनांक 27 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1513, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री सुनील सक्सेना, उप-अंकेक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा निकिता स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-A)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., तखतपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 04, राजगढ़, दिनांक 25 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1539, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., तखतपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-B)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

प्राथमिक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पीपल्ययाकुल्मी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 06, राजगढ़, दिनांक 27 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1510, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा प्राथमिक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पीपल्ययाकुल्मी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-C)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., ब्यावरा, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 07, राजगढ़, दिनांक 25 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1540, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., ब्यावरा जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-D)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

शक्ति स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., राजगढ़ पंजीयन क्रमांक 08, राजगढ़, दिनांक 27 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1522, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा शक्ति स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-E)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

सरस्वती महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पचोर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 11, राजगढ़, दिनांक 27 मई, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1538, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. के. शाक्यवार, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा सरस्वती महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पचोर जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-F)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

आदर्श महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., ब्यावरा, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 13, राजगढ़, दिनांक 30 जून, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1542, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा आदर्श महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., ब्यावरा जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-G)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., छापीहेड़ा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 15, राजगढ़, दिनांक 30 जून, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1519, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. व्ही. गुप्ता, उप-अंकेक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा आदर्श स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., छापीहेड़ा तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-H)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

माँ अम्बिका बीज उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पीपल्याकुल्मी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 18, राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1509, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा माँ अम्बिका बीज उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पीपल्याकुल्मी तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-I)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

जय किसान बीज उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., कानेड़, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 19, राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1515, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री सुरेश भण्डारी, उप-अंकेक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा जय किसान बीज उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., कानेड़ तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-J)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

अजाक्स स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सारंगपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 20, राजगढ़, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1537, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. के शाक्यवार, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा अजाक्स स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सारंगपुर जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-K)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

जागृति देवी साख स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., मोरचाखेड़ी, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 21, राजगढ़, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1533, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा जागृति देवी साख स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., मोरचाखेड़ी तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-L)

राजगढ़, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/624.—स्वास्तिक बीज एवं कृषि आदान स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., जीरापुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 23, राजगढ़, दिनांक 21 मार्च, 2003 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1520, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा स्वास्तिक बीज एवं कृषि आदान स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., जीरापुर जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-M)

राजगढ़, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/625.—वृक्ष उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., कोडिकिया, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 25, राजगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1518, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री जी. डी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा

विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा वृक्ष उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., कोडिकिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-N)

राजगढ़, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/626.—वीर शिवा स्वायत्त साख सहकारिता उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 27, राजगढ़, दिनांक 4 मार्च, 2004 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1528, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा वीर शिवा स्वायत्त साख सहकारिता उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-O)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

प्राथमिक वृक्ष उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., कोडिकी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 28, राजगढ़, दिनांक 31 मार्च, 2004 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा प्राथमिक वृक्ष उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., कोडिकी तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-P)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

प्राथमिक वृक्ष उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सालरी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 29, राजगढ़, दिनांक 31 मार्च, 2004 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1521, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री जी. डी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा प्राथमिक वृक्ष उत्पादक स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सालरी तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-Q)

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2012-वैशाख 21, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25 जनवरी, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा होना प्रतिवेदित नहीं किया है.
2. **जुताई.**—जिला रीवा, शहडोल, प. निमाड़, बड़वानी में रबी मौसम की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**—जिला रीवा, बड़वानी में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति.**—जिला राजगढ़ में आंकलन अनुसार पाले से चना, मसूर एवं धनिया की फसल को 10 से 15% तक अनुमानित क्षति व डिण्डोरी में फसल तुअर, मसूर, मटर को पाला शीतलहर से राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग गाडा सरई करजिया गोरखपुर में 26 से 50% तथा शेष राजस्व निरीक्षक मण्डल में 10 से 20% क्षति तथा छिन्दवाड़ा में चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.
5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल तुअर व मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, सिंगरौली में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25 जनवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
*जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ...	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
*जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ...	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) . .		
3. अशोकनगर	..				
4. नन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) गेहूँ, चना, राई, धना समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) गन्ना, तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
*जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लौण्डी	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गौरीहार	..		(2) . .		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, गेहूँ, तिल, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) . .		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी अधिक. मसूर, चना, गेहूँ कम. तुअर, ज्वार जौ, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. अरहर, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) अलसी, राई-सरसों, मटर, मसूर, चना, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ, मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. ज्वार, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच :	मिलीमीटर अप्राप्त	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) सोयाबीन, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर, आलू समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	अप्राप्त				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गेहूँ, चना, टमाटर अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. भावरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
*जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) . . . (2) . . .	5. . . . 6. . . .	7. . . . 8. . . .
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . . 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्छान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, कपास, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. आंकलन अनुसार पाले से चना, मसूर एवं धनिया की फसल को 10 से 15% तक अनुमानित क्षति है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, चना कम. ज्वार, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम. चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावर	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2)	
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. फसल तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) सोयाबीन, उड़द, मक्का, ज्वार, मूँग सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना, धान, ज्वार, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		तुअर, उड़द, मूँग, धना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	..		(2) ..		
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..		अलसी, जौ सुधरी हुई.		
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. फसल तुअर/मसूर, मटर को पाला/	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	..	शीतलहर से रानिमंडल बजाग	4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..	गाडासरई, करंजिया, गोरखपुर में	चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
		26 से 50% तथा शेष रानिमंडल में	(2) ..		
		10 से 20% क्षति हुई है.			
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल में कहीं-	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..	कहीं इल्लियों का प्रभाव	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..	है.	(2) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, कपास	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..		समान.		
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	..		4. (1) अलसी अधिक. गेहूँ, चना, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मटर, मसूर, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		(2) ..		
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		तिवड़ा समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला मुरैना, दतिया, छतरपुर, इन्दौर, पूर्व निमाड़, भोपाल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(221)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.